न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः— 2/06/2022 दायर दिनांकः— 07/01/2022

जीसीएमएस नं0:— 2022/17 निर्णय दिनांकः— 28/03/2025

बउनवान

1. फूलवती पुत्री किशन गुर्जर पत्नी वेवा गोविन्दसिंह जाति गुर्जर निवासी लाठकी तहसील कठूमर जिला अलवर

——— सायला

बनाम

1. तेजसिंह पुत्र भजन जाति गुर्जर निवासी ग्राम लाठकी
2. रामसिंह पुत्र भजन जाति गुर्जर निवासी ग्राम लाठकी
3. थानसिंह पुत्र भजन जाति गुर्जर निवासी ग्राम लाठकी
4. रवि कुमार पुत्र मोहरपाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम लाठकी
5. विक्रमसिंह पुत्र मोहरपाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम लाठकी
6. केशन्ता पत्नी मोहरपाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम लाठकी
7. सीमा पुत्री मोहरपाल पत्नी विक्रम जाति गुर्जर निवासी लाठकी हालवासी बडौली घाउ तहसील कांमा जिला भरतपुर
8. गुडडी पुत्री मोहरपाल पत्नी जोगेन्द्र निवासी लाठकी हालवासी बडौली धाउ तहसील कांमा जिला भरतपुर
9. राधा पत्नी बलराम जाति गुर्जर निवासी लाठकी
10. बलराम पुत्र भजन जाति गुर्जर निवासी लाठकी
11. उप पंजीयक कठूमर तहसील कठूमर

गैरसायलान

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितः—श्री रतनसिंह राजपूत — अधिवक्ता सायला
श्री महेन्द्रसिंह कपासिया— अधिवक्ता गैरसायल सं0 1 ला0 5
श्री नरपतसिंह— अधिवक्ता गैरसायल सं0 9—10

—:आदेशः—

सायला द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 115, 116, 121, 151,

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज0

892, 918, 922, 923 ग्राम लाठकी तहसील कठूमर में स्थित है। सायला मृतक किशन की पुत्री है। किशन की वेवा रेशम थी किशन फौत हो चुका है। जिसके बाद गलत रूप से किशन की विरासत का इन्तकाल उसकी वेवा रेशम के नाम तन्हा दर्ज हो गया। जवकि सायला के 1/2 भाग तथा रेशम के 1/2 भाग में दर्ज होना चाहिए था। उक्त आराजी पूर्व में गैंदा की आराजी थी जिसके लडके बन्नी व हरनारायण पैदा हुये। बन्नी के कोई औलाद नहीं थी व हरनारायण के तीन पुत्र भजन, प्रभाती व किशन थे। किशन बन्नी के गोद आ गया बन्नी के हिस्से पर किशन काविज हो गया। भजन व प्रभाती के नाम करीब 105 वीघा जमीन रह गयी जिसमे 1/2 हिस्सा में से किशन व 1/2 हिस्सा में प्रभाती व भजन थे। किशन ने रेशम से विवाह किया था जिससे एक लडकी सायला फूलवती पैदा हुई। किशन के फौत हो जाने पर उसकी जमीन सायला व उसकी मां रेशम काविज हो गये लेकिन उसके वाद किशन की सारी जमीन का नामान्तकरण रेशम के नाम हो गया जो गलत हुआ जवकि 1/2 में सायला का व 1/2 में रेशम का दर्ज होना चाहिए था। किशन के फौत होने के बाद में रेशम ने भजन की चूडिया पहन ली व उसके पास बतौर पत्नी के रूप में रहने लगी जिससे एक लडका बलराम व एक लडकी निहाली पैदा हुई, उसी दौरान इनके विगाड हो गया। रेशम के नाम जमीन पहले ही बंध चुकी थी लेकिन भजन व प्रभाती ने राजस्व कर्मचारियान से मिलकर जमीन को अपने अपने नाम अलग से खातेदारी में बंधवा लिया जो गलत रूप से बंधवा लिया तथा भजन से अलग होते वक्त भी भजन ने रेशम से दावा पेश करवाकर एक माह वाद राजीनामा पेश कर दिया तथा कानूनन जोसारी जमीन रेशम की थी उसमें भजन व प्रभाती के नाम गलत रूप से बोल रही थी जिसमें भजन ने तन्हा अपने हक में राजीनामा पेश करवाकर व प्रभाती को छोड दिया जो राजीनामा भजन के हक में पेश किया वो जमीन सायला के हिस्से की थी। रेशम ने भजन से विधिवत विवाह नहीं किया था विगाड होने पर भजन व रेशम अलग अलग रहने लग गये और भजन रेशम की खातेदारी की आराजी के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करने लगा तव रेशम ने एक राजस्व वाद हुक्मइन्तनाई दवामी का उक्त आराजी व अन्य आराजी पर भजन मुखराम व परभाती के विरूद्व पेश किया था। जिसमें भजन व रेशम के मध्य राजीनामा हो गया व लिखित में राजीनामा पेश कर दिया। मुताविक राजीनामा मुखराम व परभाती का उक्त आराजी में कोई हक हिस्सा व अधिकार नहीं रहेगा। जिस वाद को माननीय न्यायालय ने कानूनी विन्दुओं पर गौर किये विना ही डिकी

कर दिया। चूँकि रेशम के साथ साथ उकत आराजी में सायला का भी 1/2 हिस्सा था। रेशम ने सायला की जमीन को भजन को लिख दिया जिसे लिखने का रेशम को अधिकार नहीं था। राजस्व कर्मचारियान ने गलती से उक्त आराजी को जो सायला के हक हिस्से के थे को गलत रूप से भजन के नाम कर दिया भजन फौत हो गया जिसका विरासत इन्तकाल संख्या 1 ला0 8 के नाम दर्ज हो गयी। जव उक्त आराजी का भजन ही हकदार नहीं था तो उनके वारिसान के नाम भी उक्त आराजी गलत दर्ज हो गयी। कानूनन सायला किशन की पुत्री थी रेशम के नाम नामान्तकरण गलत दर्ज हुआ था। रेशम को राजीनामा के जरिये उक्त आराजी को भजन को देने का अधिकार नहीं था ना ही अदालत को डिक्री करने का अधिकार था। रेशम सायला की भाभी थी। किशन के फौत हो जाने पर सायला व रेशम मुस्तर्का में काश्त करती थी। रेशम ने अपने जीवनकाल में अपने हिस्से की आराजी का अपनी पुत्र बधू राधा पत्नी बलराम के हक में दान पत्र निष्पादित करा दिया तथा राधा व सायला मुश्तर्का में काश्त करने लग गयी। भजन के फौत होने के बाद रिकार्ड में होने के कारण उसके वारिसान के नाम जो नामान्तकरण दर्ज हुआ है वो गलत व नाकाविल पाबन्दी है। सायला ने गैरसायलान से गलत इन्द्राज को सही कराने वावत कहा तो गैरसायलान ने इन्कार कर दिया व उक्त आराजी से जवरन वेदखल करने व कब्जे काश्त में बाधा पैदा करने व रहन वय करने की धमकी दी। गैरसायलान मना करने से नहीं मान रहे है जवकि गैरसायलान को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायल तवाह एंव वर्वाद हो जावेगा दीगर मुकदमा बाजी वढेगी जिससे सायल को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः सायल ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया।

गैरसायल सं0 1 ला0 8 ने ने हाजिर अदालत होकर जवाब प्रस्तुत कर सायला के तथ्यों को अस्वीकार करते हुये कथन किया कि सायला मृतक किशन की पुत्री नही है। फर्जी पुत्री बनकर प्रार्थना पत्र पेश किया है। सायला का विवादित आराजी से किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। विवादित आराजी पर

उपखण्ड अधिकारी

गैरसायलान काविज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। किशन व रेशम के कोई लडकी नहीं थी। विवादित आराजी से रेशम का किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। रेशम ने भजन की कोई चूडी नहीं पहनी ना घरबासा किया। किशन व रेशम के बलराम व निहाली पैदा हुये। इस वावत सिविल न्यायालय द्वारा वाद दिनांक 25.08.2007 को व उपखण्ड अधिकारी कठूमर द्वारा अपील दिनांक 11.03.2005 को खारिज कर दी गयी है। सायला ग्राम लाठकी रहने वाली नहीं है सायला मृतक किशन की पुत्री नहीं है। माननीय न्यायालय द्वारा मुकदमा का विधिनुसार निर्णय पारित किया है। जिस डिक्री को सायला द्वारा चेलेन्ज नहीं किया है एवं इन्तकाल संख्या 246 दिनांक 25.01.1951 द्वारा लाऔलाद फौत होना वताया गया है। 25.01.1974 की डिक्री को न्यायालय को निरस्त करने का अधिकार नहीं है। प्रकरण का कोई पक्षकार जीवित नहीं है। सायला को गैरसायलान के पूर्वजों की जमीन पर प्रार्थना पत्र पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। सायला को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है इस वजह से सायला का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

सायला ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी हाल, नकल जमाबन्दी संवत् 2028, 2015, 2034, 2011 नकल मिलान क्षैत्रफल, राजीनामा, मुकदमा वउनवान रेशम बनाम भजन, पर्चा डिक्री, नकल नामान्तकरण की छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

विद्वान अधिवक्ता गैरसायलान ने अपनी बहस के दौरान मुख्य रूप से अपने जवाब प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि सायला मृतक किशन की पुत्री नही है। किशन की फर्जी पुत्री बनकर सायला ने मौजूदा प्रार्थना पत्र पेश किया है। विवादित आराज़ी गैरसायलान को न्यायालय की डिक्री से प्राप्त हुई है तथा न्यायालय आदेश से गैरसायलान की खातेदारी में दर्ज हुई है। न्यायालय डिक्री की आज तक कोई अपील किसी न्यायालय में पेश नहीं की गयी है। सायला ने तथ्यों को छुपाकर विना कब्जा व विना स्वामित्व के दस्तावेज के प्रार्थना पत्र पेश किया है। विवादित आराजी से सायला का किसी तरह का सरोकार नहीं है सायला नाकाविज है। सायला द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीर प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है। सायला को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है इस वजह से प्रार्थना पत्र सायला खारिज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। वकुलाय फरीकेन की बहस सुनी। अधिवक्ता सायला ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया कि सायला का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का निवेदन किया। अधिवक्ता सायलान ने अपने समर्थन में कानूनी नजीर DNJ 2017 पेज 317, RRD 2020 पेज 132 कथन किया कि छाया प्रति पेश की है।

सायलान को प्रार्थना पत्र को अपने पक्ष में सावित करने के लिये निम्न तीन बिन्दुओं को अपने पक्ष में सावित कराना है–

(1) प्रथम दृष्टा केस

(2) सुविधा का सन्तुलन

(3) ना पूर्ति होने वाली क्षति

(1) प्रथम दृष्टा केस प्रकरण में यह सावित सायला को करना है कि सायला किशन की पुत्री है तथा सायला का विवादित आराजी पर कब्जा है। सायला ने अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने के लिये साविक व हाल जमाबन्दी की छाया प्रति व अन्य निर्णयों की छाया प्रति पेश की है। गैरसायलान ने विवादित आराजी वावत न्यायालय के निर्णय की छाया प्रति पेश की है तथा विवादित आराजी गैरसायलान को न्यायालय की डिक्री से प्राप्त होना प्रतीत होता है। जिसकी कोई अपील करना नहीं पाया गया है। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत हाल व साविक रेवन्यु रिकार्ड का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्ता पक्षकारान की वहस पर मनन किया। सायला मृतक किशन की पुत्री हो व विवादित आराजी पर सायला का कब्जा काश्त हो इस तरह का सायला ने पत्रावली पर कोई प्रमाणित दस्तावेज पेश नहीं किया है। गैरसायलान ने अपने जवाव में भी यही कथन किया है कि सायला मृतक किशन की पुत्री नहीं है और ना सायला का विवादित आराजी पर कब्जा है। विवादित आराजी गैरसायलान को न्यायालय डिक्री से प्राप्त नहीं हुई हो इस तरह का भी सायला ने कोई प्रमाणित दस्तावेज पेश नहीं किया है। पत्रावली के साथ संलग्न दस्तावेजात पत्रादि से सायला प्रथम दृष्टा केस अपने पक्ष में सावित करने में असफल है। सायला की ओर से जो कानूनी नजीर पेश की गयी है वो भी प्रकरण पर चस्पा नही होती है। अतः प्रथम दृष्टा केस सायला के पक्ष में सावित ना होकर गैरसायलान के पक्ष में सावित है।

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

सुविधा का सन्तुलनः– सायला मृतक किशन की पुत्री हो तथा विवादित आराजी पर सायला का कब्जा हो तथा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को सायला अपने पक्ष में साबित नहीं कर पाई है। विवादित आराजी के गैरसायलान खातेदार काश्तकार है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से विवादित आराजी पर सायला खातेदार काश्तकार है। सायला को किस तरह की असुविधा हो रही है यह सायला ने साबित नहीं किया है। यदि गैरसायलान को स्थगन आदेश से पाबन्द किया जाता है तो असुविधा सायला को ना होकर गैरसायलान को होना संभव है। अतः सुविधा का सन्तुलन भी गैरसायलान के पक्ष में साबित है।

ना पूर्ति होने वाली क्षतिः–उपरोक्त विस्तृत विवेचन से विवादित आराजी पर सायला खातेदार काश्तकार है यदि गैरसायलान को पाबन्द किया जाता है तो ना पूर्ति होने वाली क्षति सायला को ना होकर गैरसायलान को होना संभव है। सायला को ना पूर्ति होने वाली क्षति किस तरह हो रही है। यह सायला ने साबित नहीं किया है। अतः ना पूर्ति होने वाला विन्दु भी गैरसायलान के पक्ष में प्रबल है। सायला, गैरसायलान को किसी तरह से पाबन्द कराने का अधिकार नहीं रखती है। सायला को किसी तरह का नुकशान क्षति या असुविधा हो रही हो इस तरह की स्थिति अदालत के समक्ष नहीं है।

उपरोक्त बिन्दुओ के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र साबित ना होने के कारण अस्वीकार किये जाने योग्य प्रतित होता है। अतः प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों विन्दु सायला के पक्ष में साबित ना होकर गैरसायलान के पक्ष में साबित है। सायला प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रही है। अतः सायला का प्रार्थना पत्र साबित होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो मूल वाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय आज दिनांक 28.03.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर, अलवर